पीएम स्वनिधि योजना 2.0

स्रोत: PIB

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना'** के पुनर्गठन और ऋण अवधि को **31, दिसंबर 2024** से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है।

इसका उद्देश्य **1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी) विक्रेताओं** को लाभ पहुँचाना है, जिसमें **50 लाख नए लाभार्थी** भी शामिल होंगे।

- **PM SVANidhi योजना:** यह योजना **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा **वर्ष 2020 में शुरू** की गई थी। इसका उद्देश्य **कोविड-19 महामारी** से प्रभावित **स्ट्रीट वेंडर्स** विक्रेताओं को सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत उन्हें कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपना **व्यवसाय पुनः शुरू** कर सकें, साथ ही **वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन-देन** को भी प्रोत्साहित किया जाता है।
    - इस योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023) नवाचार के लिए तथा **सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी हेतु रजत पुरस्कार (2022)** डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रदान किया गया।
    - **पीएम स्वनिधि योजना:** यह योजना समय पर ऋण चुकाने पर **ब्याज सब्सिडी**, **डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक** और अगले चरण के लिये **अधिक ऋण प्राप्त करने की पात्रता** प्रदान करती है।
    - **'स्वनिधि से समृद्धि'** घटक के तहत सड़क विक्रेताओं को **सामाजिक सुरक्षा लाभ** उपलब्ध कराए जाते हैं।
    - **जुलाई 2025** तक इस योजना के अंतर्गत **96 लाख से अधिक ऋण** (लगभग ₹13,797 करोड़) **68 लाख सड़क विक्रेताओं** को वितरित किये गए।
    - इस योजना को **प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार (2023)** नवाचार के लिये तथा **सिल्वर अवार्ड (2022)** सरकारी प्रक्रिया पुनः अभिकल्पन और डिजिटल परिवर्तन के लिये प्रदान किया गया।
- **पीएम स्वनिधि 2.0:** इस योजना का कार्यान्वयन **आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (DFS)** की संयुक्त ज़िम्मेदारी होगी।
    - पहले और दूसरे चरण (ट्राँच) में **अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध** कराने हेतु ऋण राशि बढ़ाई गई है।
    - दूसरे ऋण का पुनर्भुगतान करने वाले विक्रेताओं को **यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड** प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें **व्यवसाय या व्यक्तिगत** ज़रूरतों के लिये शीघ्र ऋण सुलभ हो सके।
    - योजना का दायरा **वैधानिक नगरों से आगे बढ़ाकर जनगणना नगरों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों** तक क्रमबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है।
    - **'स्वनिधि से समृद्धि'** पहल को और सशक्त बनाने के लिये **मासिक लोक कल्याण** मेले आयोजित किये जाएंगे ताकि **लाभार्थियों को अनेक सरकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित** हो सके।
    - यह योजना खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के सहयोग से विक्रेताओं की उद्यमिता, **डिजिटल कौशल और खाद्य सुरक्षा में क्षमता निर्माण** पर केंद्रित है।

और पढ़ें: पीएम स्वनिधि योजना